



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 09 हजार 500 रुपए अर्थदण्ड व कारावास से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कुल 09 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-200/17 धारा 60 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त राजू पुत्र सुखनन्दन निवासी ग्राम कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-120/2005 धारा 279/304 (a) भादवि के अभियुक्त लवकुश पुत्र देशराज निवासी ग्राम पैलानीडेरा थाना पैलानी जनपद बांदा को कुल 06 माह का कारावास व 1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/22 धारा 60 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त सुखराज पुत्र देशराज निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया